राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 350/2023

शिवदयाल मीणा –अपीलार्थी

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकासा एवं पंचायतीराज, राजस्थान, जयपुर।
2. उपायुक्त एवं शासन उप सचिव, (द्वितिय) ग्रामीण विकासा एवं पंचायतीराज, राजस्थान, जयपुर।
3. श्री सीताराम मीणा, प्रधान पंचायत समिति बसवा, जिला दौसा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 17.01.2023
आदेश की दिनांक : 09.02.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अभिभाषक

समक्षः– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

इस अपील में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण आलोच्य आदेश दिनांक 13.01.2023 (अनुलग्नक–1) को चुनौति दी है जिसमें अपीलार्थी पंचायतीराज विभाग में कनिष्ठ अभियंता के पद पर कार्यरत है तथा अपीलार्थी का अल्पावधि में स्थानान्तरण किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 13.01.2023 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण पंचायत समिति बसवा, दौसा से पंचायत समिति नेछवा, सीकर किया गया है। जबकि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 02.08.2022 (अनुलग्नक–2) के द्वारा पंचायत समिति लवाण जिला दौसा से पंचायत समिति बसवा जिला दौसा पदस्थापित किया गया था। अतः अल्पावधि में किए गए स्थानान्तरण को निरस्त करने हेतु निवेदन किया की आलोच्य आदेश राजनैनिक दबाव के कारण जारी हुआ है, जो पंचायत समिति बसवा के प्रधान श्री सीताराम मीणा द्वारा अपीलार्थी के स्थानान्तरण हेतु माननीय ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री महोदय को पत्र लिखा जो (अनुलग्नक–3) पर उपलब्ध है। अतः राजनैतिक दखल अंदाजी से अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है जो कि अनुचित एवं विधि विरूद्ध है। अपीलार्थी ने साथ में यह भी निवेदन भी किया की अपीलार्थी के बहनोई का युवावस्था में ही चार माह पूर्व 11.09.2022 (अनुलग्नक–5) को निधन हो गया। जिसके कारण अपीलार्थी पर इनके भरण– पोषण की समस्त जिम्मेदारी आ गई है। अतः उक्त आधार पर आलोच्य आदेश

दिनांक 13.01.2023 (अनुलग्नक–1) अपीलार्थी के हद तक निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि अपने कर्मचारियों की सेवा किस स्थान पर ले। आलौच्य आदेश में कोई दुर्भावना परिलक्षित नहीं होती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."

सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

अपीलार्थी ने अपील में स्वंय का दूरस्थ स्थानान्तरण किए जाने का अभिकथन भी किया है। जबकि आलोच्य आदेश द्वारा उसी जिले में स्थानान्तरण किया गया। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने **भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य डब्ल्यू.एल.सी. 2007(2) 276** में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

"So far as plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the State wherever he/she is posted. The plea of posting at a distance from one place to another is immaterial. It does not involve any violation of service Rule."

अपीलार्थी ने अपनी अपील में स्थानान्तरण से होने वाली पारिवारिक परेशानियों का उल्लेख किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मध्य प्रदेश राज्य बनाम एस.एस.कौरव ((1995) 3 एस.सी.सी. 270)** के निर्णय में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :–

"This court cannot go into the question of relative hardship. It would be for the administration to consider the facts of a given case and mitigate the real hardship in the interest of good and efficient administration. If there is any such hardship, it would be open to the respondent to make a representation to the Government and it is for the Government to consider and take appropriate decision in that behalf."

अतः इस संबंध में हमारे मत में स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप होने वाली इस तरह की कठिनाइयों के आधार पर स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक 09.02.2023 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)